

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक: 38 / भू0अ0 / ज0सं0 / 99 पार्ट IV /

दिनांक:

घोषणा

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बीसलपुर परियोजना के आर 0एल 0 315.15 मी0 डूब क्षेत्र के ग्राम डाबरकला के छूटे हुए खसरां न0 2566/2087 एवं 2093 हेतु भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानों के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास) बीसलपुर परियोजना देवली को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास) बीसलपुर परियोजना देवली तथा अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड III बीसलपुर परियोजना देवली के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार

सलग्न:-सूची

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्राव.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: 38 / भू0अ0 / ज0सं0 / 99 पार्ट IV / 1494-1497 दिनांक: 09/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग जयपुर।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
- 3-अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड III बीसलपुर परियोजना देवली जल को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशाल के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4-भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास) बीसलपुर परियोजना देवली को प्रेषित कर लेंख कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (जल संसाधन,
निर्माण खण्ड III बीसलपुर परियोजना, देवली
प्रादि

क्रमांक
पत्र का नाम

दिनांक

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्राव.सहायक,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

1. E.E.



बीसलपुर परियोजना के डूब में आयी ग्राम आवरकलां तहसील देवली के आर.एल. 315.50 मीटर के डूब में आये खसरो की धारा-19 की सूची।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे० में	अवाप्त किये जाने वाला रकबा हे०	किस्म भूमि	विशेष विवरण
1	रामचन्द्र, रामगोपाल पिता शावला ग्राम कास्यां श्योजी, रतन पुत्र मथरी बेवा कालू मीणा निवासी इन्द्रपुरा	2566/2087 2093	0.81 1.45	0.81 1.01	बंजड़ बंजड़	प्रार्थी के प्रकरण की डिकी गाननीय उपखण्ड अधिकारी देवली के द्वारा वर्ष 2007 में हुई थी (सबलंग)। विस्थापित द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार देवली से राज्यहित प्रभावित रिपोर्ट तथा तस्मीम की नक्शा ट्रेस मंगवायी गई जो उनके पत्रांक क्रमशः 1232 दिनांक 07.04.16 तथा 8 दिनांक 03.01.2017 के द्वारा प्राप्त हुई। अतः अब धारा 11 व 12 की कार्यवाही हो चुकी है। अब धारा-19 की कार्यवाही प्रस्तावित है।
		Total :-	2.26	1.82		

(अजय शर्मा)

सहायक अभियन्ता
पुनर्वास उपखण्ड-प्रथम/तृतीय,
बीसलपुर परियोजना, देवली।

पूजन शौलकी
कनिष्ठ अभियन्ता

(रविन्द्र कटारा)

अधिराधी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-तृतीय,
बीसलपुर परियोजना, देवली

अभियन्ता
गोंध मुन, बीसलपुर परियोजना
देवली कोड नं 047058

प्रति हस्ताक्षरित

रविन्द्र कटारा
उप सचिव अधीक्षण अभियन्ता
इ. न. स. बास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर